# न्यायालय समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139) 0116 /30-76/2017

आदेश पत्रक–ता0.................................................से.................................................................................

जिला–खगड़िया.......................................,सा0.......................................................................................................

केस का प्रकारः–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में।

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1. | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02. | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3. |
|---|---|---|
| 07.08.2017 | बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 30(ए) के तहत चित्रगुप्तनगर थाना में दर्ज कांड संख्या–323/2017 दिनांक 14.05.2017 में जप्त किये गए विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु अनुसंशा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2457/हि0शा0 दिनांक 03.08.2017 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष चित्रगुप्तनगर का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्त की गई विदेशी शराब की कुल मात्रा 180 एम0एल0 का 170 (एक सौ सत्तर) बोतल विदेशी शराब में से 05(पाँच) बोतल विदेशी शराब माननीय विशेष न्यायालय के आदेशानुसार जाँच हेतु उत्पाद रसायन परीक्षक बिहार, पटना को भेज दिया गया है, जबकि शेष 165 (एक सौ पैसठ) बोतल विदेशी शराब चित्रगुप्तनगर थाने के मालखाना में रखा गया है।<br><br>पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरूपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।<br><br>अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए चित्रगुप्तनगर थाने के मालखाना में रखी गई 165 (एक सौ पैसठ) बोतल विदेशी शराब को विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख–रेख में निर्धारित प्रकियों का पालन करते हुए चित्रगुप्तनगर थाना कांड संख्या 323/2017 के आधार पर जप्त की गई कुल 165 (एक सौ पैसठ) बोतल (29.700 ली0) विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।<br><br>इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, चित्रगुप्तनगर/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।<br><br>लेखापित एवं संशोधित<br><br>समाहर्त्ता, खगड़िया। 7/8/17<br><br>समाहर्त्ता, खगड़िया। 7/8/17 | |

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख<br>1. | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर<br>02. | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित<br>3. |
|---|---|---|
| | डी0 बी0 नं0 228 /विधि, दिनांक 9/8/2017<br>प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया /थानाध्यक्ष, चित्रगुप्तनगर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।<br>प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के बेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।<br>9/8/2017<br>प्रभारी पदाधिकारी,<br>जिला विधि शाखा<br>खगड़िया।<br>9/8/17 | |